


(91)

|   |  |
|---|--|
| <br><b>राजस्थान राज-पत्र</b><br><b>गिरोहिक</b><br><b>जनधन प्रकाशन</b><br><b>मस्तिष्क दर्शन</b> | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><i>Extraordinary</i><br><i>Published by Authority</i><br><b>अग्रहण १, गुरुवार, शाके १९२९—नवम्बर २२, २००७</b><br><i>Agrahana 1, Thursday, Saka १९२९—November 22, 2007</i> |
|---|--|

**भाग १ (ख)**  
**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**विस्तिता एवं स्वास्थ्य (प्रृष्ठ-३) विभाग**

**अधिपूचनाएं**

**जयपुर, नवम्बर १९, २००७**

संख्या प. 23(2) चि. एवं स्वा. ३/२००३ पार्ट:- गर्भधारण पूर्व और प्रत्यक्ष पूर्व नियन्त तकनीक (लिंग चयन प्रतिवेद) अधिनियम, 1994 की धारा १६ ए की उप-धारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य पद्धतिकान द्वारा के गठन हेतु पूर्व में विमान द्वारा जारी समरब्धक अधिसूचना दिनांक १-७-२००३ में क्रम संख्या ४ से १६ पर उल्लेखित सदस्यों का निम्नानुसार मनोनयन करती है:-

१. श्रीमती अनिता मदेल, सदस्य, राजस्थान विधान सभा।
२. श्रीमती लक्ष्मी बाल्लभाल, सदस्य, राजस्थान विधान सभा।
३. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य, राजस्थान विधान सभा।
४. डॉ. एन. के. वज, ऐसोसियेटेड प्रोफेटर (सेवा निवृत्त) समाज शास्त्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
५. श्री दीपक भावेश्वरी, अतिरिक्त निदेशक, बाइकरण विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
६. श्रीमती शील धामाई, पूर्व मंडापौर, जयपुर।
७. श्रीमती लक्ष्मी हेमवरी, लूपित हृष्मन बेलफर्थ एण्ड रिसर्च प्राउडेशन, १६० हृष्मन नगर, गरुडपुर।
८. डॉ. आदर्श गार्गव, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, स्त्री रोग विभाग, जयपुर अस्पताल, जयपुर।
९. डॉ. उषा शर्मा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, स्त्री रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
१०. डॉ. उषा शर्मा, आचार्य एवं इकाई प्रभारी, शिशु रोग विभाग, जे. के. लॉक हॉस्पिटल, जयपुर।
११. डॉ. सुषमा शर्मा, आचार्य, पंथीलोजी विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
१२. डॉ. जल तिहार, रेडियोजोजिस्ट, निदेशक (सेवा निवृत्त) एम. एस. सू., जयपुर।
१३. डॉ. मला उदावत, आचार्य, रेडियोटेलनेसिस, जे. के. लॉक हॉस्पिटल, जयपुर।

**नोट :-** उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से ३ वर्ष का होय।

जयपुर, नवम्बर १९, २००७

संख्या प. 23(2) चि. एवं स्वा. ३/२००३ पार्ट:- गर्भधारण पूर्व और प्रत्यक्ष पूर्व नियन्त तकनीक (लिंग चयन प्रतिवेद) अधिनियम, 1994 की धारा १७ की उप-धारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एवं द्वारा, १-७-०३ में क्रम संख्या ३ के लिये समरब्धक अधिसूचना दिनांक ०२-१२-२००६ से मनोनीत श्री श्रीनिवास शर्मा, डी.एल.आर. (एल), विधिविभाग, भूतिवालय, राजस्थान, जयपुर के स्वाम पर श्री वृत्त किशोर गुह्या, डी.एल.आर. (एल), विधि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को मनोनीत करती है।

राज्यवाल की अधिकारी से,

डॉ. एन. एच्जे,

उप शासन सचिव।